न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 135/2019

पीठासीन अधिकारी –श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1.जवाहरलाल पुत्र महादानराम
जाति मेघवाल, निवासी एकलिया धोरा
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – **श्री सुरताराम मेघवाल**

निर्णय

दिनांक :– 24/02/2020

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा एकलिया धोरा, पटवार तहसील सेड़वा में प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा सं. 575/124 रकबा 40.00 बीघा, खसरा सं. 576/124 रकबा 46.00 बीघा, कुल रकबा 86.00 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि प्रार्थी के पिता महादानराम ने प्रार्थी की नाबालिंग अवस्था में प्रार्थी के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थी का नाम जवाराराम पुत्र माहदानराम अंकित किया गया। प्रार्थी का उक्त नाम घरेलू बोलचाल की भाषा का था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के नाम से नामान्तरकरण पारित किया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जवाहरलाल पुत्र महादानराम है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा मतदान परिचय पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक खाता डायरी इत्यादि में प्रार्थी का नाम जवाहरलाल पुत्र महादानराम ही अंकित है।

प्रार्थी को उक्त त्रुटी का ज्ञान तब हुआ जब प्रार्थी ने अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की। प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Scanned by CamScanner

वास्तविक नाम प्रार्थी जवाहरलाल पुत्र महादानराम है। प्रार्थी अपना नाम दुरस्त करवाने अधिकारी है । इस हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त , शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी ने आवेदन का जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी । बहस पर मनन किया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदन मे वर्णित पैरा सं. 02 अनुसार प्रार्थी को नावालिंग बताया गया है तथा आवेदन में वर्णित आराजी का रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 08.05.1995 व जरिये पंजीयन रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 31.05.1995 एवं पंजीयन रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 25.09.2002 में प्रार्थी का नाम जवाराराम पुत्र महादानराम, उम्र 25 वर्ष अंकित है। इस प्रकार आवेदन में वर्णित तथ्यों और सलंग्न दस्तावेजात में विरोधाभास प्रतीत होता है। विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उन्होने स्पष्ट किया है कि वक्त पंजीवद्ध दस्तावेज के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा जो नामान्तरकरण खोला जाकर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत ना.क.पारित होकर नियमानुसार अमल दरामद किया गया है।

पंजीयन रजिस्टर्ड दस्तावेज में इस प्रकार का संशोधन अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा जो संशोधन चाहा गया है वो न्यायिक प्रक्रिया अनुसार संभव नहीं है।

अतः प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा सं. 575/124 रकबा 40.00 बीघा, खसरा सं. 576/124 रकबा 46.00 बीघा, कुल रकबा 86.00 बीघा भूमि के संबंध पेश आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम खारीज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2020.07.06 15:28:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: